सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

#राजस्थान_सतर्क_है

''सभी की सुरक्षा के लिए राज्य में आगन्तुक हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें''

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

राजस्थान आने वाले तथा उनके स्थानीय परिजन ध्यान दें

- राज्य में आने वाले लोगों को आने से पहले ई-मित्र (eMitra) मोबाइल ऐप अथवा www.emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल पर राजस्थान आने के लिए अपनी यात्रा के साधन जैसे- हवाई/रेल/सड़क मार्ग, तिथि, समय, होम/संस्थागत क्वारंटीन विकल्प एवं स्थान संबंधी सूचना देनी होगी। जिससे उन्हें जरूरत होने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता दी जा सके।
- विदेश से आने वालों को पहले 7 दिन तक भुगतान आधारित संस्थागत क्वारंटीन तथा अगले 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है।
- अन्य राज्यों से आने वाले आगन्तुकों को घर पर सुविधा होने पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन अन्यथा संस्थागत क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है।

अन्य राज्यों से 7 दिन से कम समय के लिए आने वालों के लिए सूचना

- आगमन से 2 दिन पहले करवाये गये कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने पर होम क्वारंटीन जरूरी नहीं होगा तथा वापसी यात्रा भी अनुमत रहेगी।
- जिन्होंने राजस्थान आने से पहले टेस्ट नहीं करवाया है उन्हें आने पर तत्काल टेस्ट कराना होगा एवं रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर क्वारंटीन आवश्यक नहीं होगा एवं वह अपना कार्य पूर्ण कर वापस लौट सकेंगे।
- होम क्वारंटीन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा एवं कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

राजस्थान से बाहर के लिए हैल्पलाइन 18001806128 | राज्य हैल्पलाइन 181

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान संवाद